(221)

COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

श्रीमति सुमन पाठक पत्नि हेमन्त पाठक निग -1718- I-16
निवासी वार्ड नं.11,नौगांव तह. नौगांव जिला छतरपुर ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. म.प्र.शासन
2. रामेश्वर प्रसाद तनय गेंदालाल गुप्ता
3. रामेश्वर प्रसाद तनय बृजभूषण चौदा
4. अजय तनय जगदीश प्रसाद कटहल

सभी निवासी बिजावर तह. बिजावर जिला छतरपुर ....अनावेदकगण

19/5/16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 76/अपील/अ–89/अ–13/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 02/05/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नौगांव स्थित भूमि खसरा क्र 1/31 रकवा 0.680 हे. में से 0.250 हे भूमि निगरानीकर्ता द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से कृषि प्रयोजन हेतु दिनांक 28/3/2012 को क्रय कर मालकाना हक व हिस्सा प्राप्त किया था तथा निगरानीकर्ता के पक्ष में दिनांक 7/5/12 को तहसीलदार नौगांव द्वारा नामांतरण स्वीकृत किया गया था। हल्का पटवारी के गलत प्रेतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी नौगांव द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर निगरानीकर्ता को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया और ना ही पक्षकार बनाया गया तथा दिनांक 30/11/13 को उक्त भूमि पर प्रबंधक अनुविभागीय अधिकारी लेख किए जाने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा एक अपील कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि विपरीत आदेश

94251-71223

XXXIX(बी)-R(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R. 1718/I-I/16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-5-16	1– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित अनावेदक कमांक 1 शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित एवं अनावेदक कमांक 2 से 4 तक की ओर से अधिवक्ता संजय सेन उपस्थित उभय पक्ष के तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभय पक्षों के तर्को पर विचार किया गया। यह निगरानी कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण कमांक 76/अपील/अ–13/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 02.05.2016 के विरूद्ध म. प्र. भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि ग्राम नौगांव स्थित भूमि खसरा कमांक 1/13 रकवा 0.680 हे. में से 0.250 हे. आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 28.3.2013 के माध्यम से कृषि प्रयोजन हेतु कय की गई थी तथा राजस्व अभिलेख में आवेदक का नामांतरण दिनांक 7.5.2012 को स्वीकृत किया गया था। 4– आवेदक की ओर से तर्क दिया गया है कि हल्का पटवारी के गलत प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी नौगांव द्वारा आवेदक की भूमि पर प्रबंधक अनुविभागीय अधिकारी लेख किया गया है। जिसकी अपील आवेदक द्वारा कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसे कलेक्टर द्वारा गलत आधार पर निरस्त कर दिया गया था। 5–मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों तथा न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से भूमि कय की थी जो कि कृषि प्रयोजन की भूमि थी तथा आवेदक द्वारा भूमि को आज दिनांक तक विकय नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है आवेदक द्वारा भूमि पर कोई अवैध आवासीय कालोनी नहीं बनाई है। आवेदक के पक्ष में तहसीलदार नौगांव द्वारा दिनांक 7.5.2012 को नामांतरण आदेश पारित किया गया था किन्तु इसके उपरांत भी अनुविभागीय	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों आदि के हस्ताक्षर
	अधिकारी नौगांव द्वारा आवेदक को प्रकारण में न ही पक्षकार बनाया गया और न ही साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदाय किया गया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। दर्शित परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से आवेदक के हित तक स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2016 निरस्त करते हुए भूमि खसरा नं. 1/31 रकवा 0.250 हे. पर राजस्व अभिलेख में प्रबंधक अनुविभागीय अधिकारी नौगांव विलोपित कर आवेदक का नाम दर्ज किया जाता है तथा आवेदक को उक्त भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	